डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 54वां उपवेशन

05 जुलाई 2024

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

फोन: 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **54**वां उपवेशन दिनाँक **05.07.2024** को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में दोपहर **11.00** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
4. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
5. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
8. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुएः-

1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
2. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
3. प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
5. डॉ. टी.पी. यादव, कुलसचिव, राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, जयपुर
6. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक **05** जुलाई **2024** को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 27 जून 2023 के अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से एजेण्डा बिन्दु संख्या-1 से 7, 10 से 12 एवं 14 से 16(4) का अनुमोदित किया गया। **एजेण्डा संख्या- 8** में आयुर्वेद के आधार पर संशोधन प्रारूप तैयार करने हेतु कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। **एजेण्डा संख्या- 9** में सात सदस्य समिति का गठन जिनमें से तीन निजी बी.एन.वाई.एस. महाविद्यालय से एवं तीन राजकीय बी.एन.वाई.एस. महाविद्यालय से तथा इसके अतिरिक्त एक सदस्य बी.एन.वाई.एस., एन.आई.ए., जयपुर से किया जाकर बी.एन.वाई.एस. पाठ्यक्रम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। **एजेण्डा संख्या- 13** की अनुपालना हेतु राज्य सरकार को पुनः स्मरण-पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। **अनुपूरक एजेण्डा संख्या- 16(5)** के अनुपालना में जिन महाविद्यालयों ने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है उन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को स्मरण-पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
2.	विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 के आयुर्वेद/होम्योपैथी/ यूनानी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों के निरीक्षकों की नियुक्ति एवं सम्बद्धता आदेशों इत्यादि हेतु माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार किए गए कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3.	श्री भँवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती सरदारशहर में नये बैच सत्र 2023-24 के प्रवेश होने वाले छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहने की स्वीकृति के सम्बंध में विचार-विमर्श।	उक्त प्रकरण सम्बन्धित महाविद्यालय का है अतः महाविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
4.	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च) **"महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालय विभागों के विभागाध्यक्षों और मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं के विभागाध्यक्षों से भिन्न, कम से कम सोलह वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों में से विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित, प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अध्यापक;"** के प्रावधानानुसार तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में सोलह वर्ष का अनुभव रखने वाले अध्यापकों की अनुपलब्धता है। अतः अध्यापन अनुभव में एक बार शिथिलता प्रदान करते हुए 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अध्यापक को संकाय का प्रतिनिधि बनाए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
5.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के अस्थायी/यूटीबी/समेकित वेतन पर कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों के शैक्षणिक अवकाश (**Academic Leave**) स्वीकृत करने के संबंध में विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के अस्थायी/यूटीबी/समेकित वेतन पर कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों को प्रायोगिक परीक्षा, सेमिनार में पत्रवाचन सम्बन्धित कार्यों के दृष्टिगत एक वर्ष में 12 दिवस का शैक्षणिक अवकाश (**Academic Leave**) दिए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही साथ संबंन्धित यूटीबी नियम राज्य सरकार के होने के कारण राज्य सरकार सरकार से अनुमोदन के पश्चात लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।
6.	एकलव्य ग्लोबल एकेडमी, जयपुर को पंचकर्म तकनीशियन प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम की अनुमति पर विचार-विमर्श।	एकलव्य ग्लोबल एकेडमी, जयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्था नहीं है। अतः संस्था को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
7.	निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी एवं योग महाविद्यालयों की फीस प्राप्त करने अन्तर्गत विलम्ब शुल्क का भार्गव कमेटी द्वारा निर्धारित फीस के अन्तर्गत उल्लेख नहीं है। अपितु विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में फीस के साथ विलम्ब शुल्क के रुप में 100/- रुपये प्रतिदिन का उल्लेख है। अतः निजी महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं से प्राप्त परिवेदना पर विचार-विमर्श।	इस सन्दर्भ में राज्य सरकार को विलम्ब शुल्क निर्धारण एवं फीस के समय के निर्धारण का उल्लेख करते हुए पत्र लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
8.	वित्त एवं लेखा समिति में विद्या परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से एक व्यक्ति के मनोयन/नामित करने पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर को वित्त एवं लेखा समिति में विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में मनोयन/नामित करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9.	विश्वविद्यालय अनुसंधान बोर्ड (Reserch Board) कार्यवाही विवरण पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
10.	विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दो वर्ष में एक वार दो असाधारण प्रतिभाओं को मानद (Honorary) डाक्टरेट की उपाधि प्रदान करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट विचार-विमर्श हेतु प्रस्तावित।	प्रस्तावित प्रारूप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के नवीन सेवानियम संशोधन उपरान्त राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इस हेतु नवीन सेवानियम अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
12.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में यू.जी.सी. एवं एन.सी.आई.एस.एम. के अधिसूचना के अनुसार पी.एचडी. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षकों के अध्यधीन संचालित है। पर्यवेक्षकों के अधीन बाह्य एवं आभ्यान्तर शिक्षक संवर्ग पी.एचडी. शोध कार्य को निर्धारित संख्या में पूर्ण करते है। अतः पृथकशः आभ्यान्तर शिक्षक संवर्ग को पी.एचडी. शोध कार्य हेतु निर्धारित आवंटन सीट की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।	प्रति वर्ष प्रत्येक विभाग में विभागानुसार प्रति पर्यवेक्षक के अधींन एक आभ्यान्तर शिक्षक की सीट की वृद्धि किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया।
13.	**विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।**	
	1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा माह जनवरी-फरवरी 2024 की समस्त परीक्षाओं के Unfair Means Case अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Signature valid

Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	2. विश्वविद्यालय के सप्तम् दीक्षान्त समारोह में वर्ष 31 दिसम्बर, 2023 तक के उत्तीर्ण छात्रों एवं इन्टर्नशिप पूर्ण बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., बीएस.सी. नर्सिंग आयुर्वेद, एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद, एम. डी. होम्योपैथिक एवं पीएच.डी. आयुर्वेद पाठ्यक्रम की उपाधियों एवं स्वर्ण पदक वरीयता की सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	3. बीएस.सी. नर्सिंग आयुर्वेद पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में प्रवेशित (डी.ए.एन. एण्ड पी. योग्यताधारी) विद्यार्थियों के संदर्भ में बीएस.सी. नर्सिंग आयुर्वेद तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की अंक गणना के आधार पर एवं प्रथम वर्ष बीएस.सी. नर्सिंग आयुर्वेद में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रथम से चतुर्थ वर्ष के अंकों की गणना के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाकर स्वर्ण पदक/वरीयता प्रमाण-पत्र के लिए प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	4. विश्वविद्यालय के संघटक एवं संबद्धता प्राप्त 02 महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद पाठ्यक्रम का संचालन होता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु क्लीनिकल/नॉन क्लीनिकल 14 विषय NCISM, नई दिल्ली से निर्धारित है। प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय का पाठ्यक्रम व प्रश्न-पत्र का निर्माण तथा सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाओं में अंक प्रदान करने में अत्यधिक अन्तर विषयवार/संस्थावार देखा जा रहा है। अतः स्नातकोत्तर स्तर पर सप्तम् दीक्षान्त समारोह एवं आयोजित होने वाले आगामी समस्त दीक्षान्त समारोहों में वरीयता प्रमाण-पत्र व स्वर्ण पदक	एम.डी. एम.एस. आयुर्वेद पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में विषयवार/संस्थावार अंक प्रदान करने में विषमता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दीक्षान्त समारोह से पूर्व नवीन प्रारूप तैयार किए जाने हेतु कमेटी के गठन किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	प्रदान किए जाने उचित प्रतीत नहीं होने के कारण स्थगित करना प्रस्तावित है।	
	5. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रम में वरीयता सूची तैयार करते समय केवल प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण छात्रों को ही वरीयता निर्धारण में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रम में वरीयता सूची तैयार करते समय केवल प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण छात्रों को ही वरीयता निर्धारण में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया परन्तु रुग्णावस्था एवं आपात अवस्था में विश्वविद्यालय को पूर्व सूचना प्रेषित कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले छात्रों के प्रयास की गणना नहीं की जाएगी। ऐसे छात्रों के प्रयास की गणना वरीयता सूची के निर्धारण में प्रथम प्रयास के रूप में की जाएगी।
	6. विश्वविद्यालय से संघटक एवं संबद्धता प्राप्त समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों के डी.ए.एन.एण्ड पी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित समस्त उत्तीर्ण एवं इंटर्नशिप पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को केवल प्रोविजनल प्रमाण-पत्र ही दिया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर जॉब प्राप्त करने हेतु स्थाई प्रमाण-पत्र/उपाधि/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की मांग की जाती रही है। अतः उक्त छात्रों को जरूरत होने पर प्राप्त आवेदन के पश्चात् स्थाई प्रमाण-पत्र/उपाधि/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र निर्धारित शुल्क स्नातक के अनुसार लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, उपर्युक्त स्थाई प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।	डी.ए.एन.एण्ड पी प्रमाण-पत्र/उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को स्थायी प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संदर्भ में प्रारूप निर्धारण एवं अग्रिम प्रक्रिया हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
	7. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस O.12 में सभी प्रवेशित छात्रों के नामांकन के लिए कटऑफ के अनुसार सभी प्रवेशित छात्रों के नामांकन की अवधि विशेष विलम्ब शुल्क के साथ 31 जनवरी तक करवाने का उल्लेख है। इसके पश्चात् स्वतः प्रवेश निरस्त माना गया है। चूंकि प्रवेश एवं सत्र	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	की अवधि पृथक-पृथक होने के कारण इस नियम का पालन करना कठिन हो रहा है। परीक्षा शाखा के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है कि नामांकन की अवधि एवं समस्त माइग्रेशन/ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मूल भिजवाने एवं नामांकन फॉर्म में विलम्ब शुल्क दुगुना/चार गुना सहित अंतिम अवधि मुख्य परीक्षा आवेदन की तिथि से 07 दिवस पूर्व तक होना सुनिश्चित करावें अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।	
	8. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.यू.एम.एस. की परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रश्न-पत्र उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में मुद्रित करवाए जाते हैं, जिससे विषय-विशेषज्ञों को पेपर तैयार करते समय उर्दू टंकण करने में काफी समस्याएं आती है, इसीलिए पेपर तैयार करवाने के लिए विषय-विशेषज्ञों द्वारा अन्य बाहरी कम्प्यूटर ऑपरेटर से करवाए जाने की सम्भावना रहती है, जिससे पेपर की गोपनीयता भंग होने की संभावनाएं अधिक रहती है। अतः बी.यू.एम.एस. की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में ही मुद्रित करवाए जाने की अनुशंषा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, परन्तु प्रश्न-पत्र उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में मुद्रित किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न को अन्तिम माना जाने का निर्णय लिया गया।
	9. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस 0.26-A में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में Grace Marks देने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के कुल अंक का एक प्रतिशत देने का प्रावधान है। जबकि, प्रायोगिक परीक्षाओं Grace Marks प्रदान नही किये जाते है। अतः समस्त पाठ्यक्रम की परीक्षाओं के परिणाम में Grace Marks सैद्धांतिक परीक्षाओं के कुल अंकों का ही एक प्रतिशत देने की अनुशंषा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे।	सर्वसम्मति से प्रस्तावित प्रस्ताव के अवलोकन हेतु कमेटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	10. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजन हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर Seating Arrengement एवं अन्य तैयारियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तैयारियों हेतु मंत्रालयिक कर्मचारियों (Clerk/Peon) को परीक्षा प्रारम्भ से एक दिवस पूर्व एवं समाप्ति के एक दिवस पश्चात् के मानदेय दिए जाने की अनुशंषा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	11. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.ए.एम.एस. चतुर्थ वर्ष विषय अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी की परीक्षा में 03 घंटे का समय निर्धारित है, जबकि उक्त पेपर में केवल 14 सवाल एवं कुल अंक 50 होने के कारण समयावधि 02 घंटे ही निर्धारित किए जाने की अनुशंषा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रश्न-पत्र का प्रारूप 14 प्रश्न के स्थान पर 25 प्रश्न (50 अंक के 25 प्रश्न) के प्रश्न-पत्र करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
14.	विश्वविद्यालय के संघटक बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालय, जोधपुर के विगत तीन वर्षों का मान्यता शुल्क राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर में जमा करवाने पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के संघटक बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालय, जोधपुर के विगत तीन वर्षों का मान्यता शुल्क राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर में जमा कराए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रदेश के सम्बद्धता प्राप्त अन्य बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों को अपने स्तर पर मान्यता शुल्क राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर में जमा कराने हेतु निर्देश प्रदान करने के लिए पत्र लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
15.	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त पीएच.डी. महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क एक बार ही लिया जाता है जबकि यू.जी. पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों से हर वर्ष लिया जाता है। पीएच.डी. महाविद्यालयों में लागू कराने के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त पीएच.डी. महाविद्यालयों का तीन वर्ष पश्चात् निरीक्षण करवाए जाने एवं निरीक्षण शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नवीन विषय में पीएच.डी. प्रारम्भ करने की संस्था के द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए निर्धारित शुल्क प्रत्येक विषयवार पृथक्-पृथक् लिए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
16.	**अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**	
	1. सत्र 2020-21 में प्रवेशित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की पीएच.डी. (आयु.) की फीस सत्र 2020-21 में प्रकाशित विवरणिका में रुपये 57,000/- रुपये है परन्तु कार्यालय आदेश एवं पत्रावली में फीस 1,06,500/- रुपये निर्धारित है जिसमें 50,000/- रुपये विकास शुल्क के निर्धारित है। अतः इस प्रकरण में आन्तरिक चिकित्सक शिक्षकों की फीस सत्र 2020-21 हेतु प्रकाशित विवरणिका के अनुसार लिए जाने पर विचार-विमर्श।	1. सत्र 2020-21 में प्रवेशित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की पीएच.डी.(आयु.) की फीस प्रकाशित विवरणिका के आधार पर विकास शुल्क 50,000/- रुपये में 60% को छूट अर्थात् विकास शुल्क में रुपये 30,000/- की रियायत देते हुए कुल रूपये 77,000/- लिए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया तथा इस प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड एवं वित्त एवं लेखा समिति से अनुमोदन कराए जाने का निर्णय लिया गया।
	2. निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी एवं योग महाविद्यालयों में इन्टनर्शिप करने हेतु आने वाले अन्य महाविद्यालयों के छात्रों की फीस निर्धारण करने हेतु विचार-विमर्श।	2. निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी एवं योग महाविद्यालयों में इन्टनर्शिप करने हेतु आने वाले अन्य महाविद्यालयों के छात्रों की फीस के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का नियम सभी महाविद्यालयों पर लागू किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 01 से 11 तक)।

कुलसचिव
(सदस्य सचिव)

Signature valid
Digitally signed by Govind Sahay Shukl
Designation : Registrar
Date: 2024.07.15 14:43:18 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8805619